गया है। इसलिये भूमि अन्तरण का मामला प्रतीत होता है। हमारी राय में मौजा बरनेल के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने-अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नं. 110 की भूमि का माफिक वादपत्र अनुसार वंट चाहा है जो पूर्ण रूपेण विभाजन नहीं है। अतः वाद पत्र में वर्णित खसरा नं. 110 की भूमि का पूर्णरूपेण विभाजन नहीं होने तथा पक्षकारान् के द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 10.08.2021 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

जिसकी पालना में दिनांक तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 10.08.2021 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 10 दिनांक 21.10.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 ग्राम पंचायत बरनेल में प्राप्त हुआ। प्राथमिक डिक्री प्रस्ताव पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादी एवं प्रतिवादी गनीखां एवं धोलू खां ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है इसके अतिरिक्त मौके पर अन्य प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुवे। मौके पर उपस्थित को नजरीनक्शानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि मौतबिरान उमरदीन एवं बरकत पुत्र तथा भू.अभि.निरीक्षक बरनेल एवं पटवार हल्का बरनेल की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अतः तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिग्री किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर माफिक तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव मौका रिपोर्ट पत्रांक 10 दिनांक 21.10.2021 के अनुसार निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है। पीडी प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा।

1. वादी गनी खां के हक वंट कब्जा काश्त में मौजा बरनेल के खेत खसरा नंबर 110 रकबा 2.1286 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार सम्पूर्ण रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28/12/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

28/12/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner